

## छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244-245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 23/09/2017

क्रमांक 57 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:-

### (अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मन्थली सीजन टिकट कार्ड योजना" होगा।
- (ii) योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों में यात्रा करने के लिए पंजीकृत हितग्राहियों को 150 कि०मी० तक इज्जत मन्थली सीजन टिकट कार्ड (MST) में लगने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- (iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

### (ब) योजना हेतु पात्रता :-

- (i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।
- (ii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

### (स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- (i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।
- (ii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।
- (iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) विसंगति का निराकरण-

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

Sd/-  
(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23/9/17

पृ0क0 / / 2014-2053

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .....
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....
8. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
9. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
10. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Sd/-  
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर